SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वैश्विक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका: एक आलोचनात्मक अध्ययन

रमेश कुमार, (Ph.D.), राजनीति विज्ञान विभाग,
विजय दीक्षित, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors

रमेश कुमार, (Ph.D.), राजनीति विज्ञान विभाग,
विजय दीक्षित, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/09/2022
Revised on : -----
Accepted on : 16/09/2022
Plagiarism : 01% on 09/09/2022

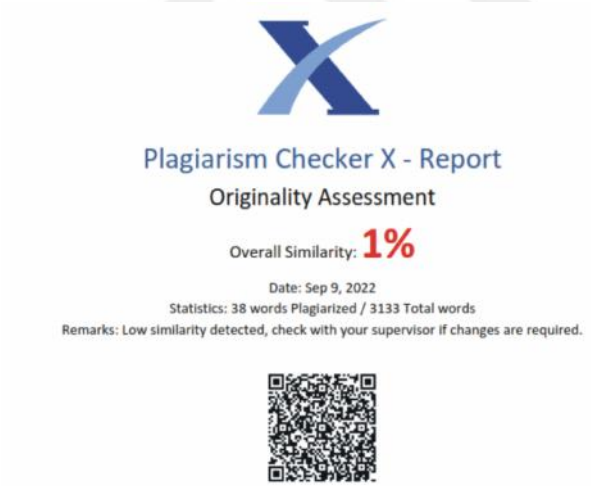

शोध सार

वैश्विक न्याय विश्व बंधुत्व के विचारो पर आधारित सिद्धांत है। इसमें राज्य, समुदाय या संस्कृति के विपरीत व्यक्ति पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। यह व्यक्ति को अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मानते हैं क्योंकि सभी मनुष्यों में समान नैतिक मूल्य होते है। इसमें वैश्विक स्तर की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जॉन रॉल्स के द्वारा राज्य एवं राजनीतिक संरचनाएं यह निर्धारित कर सकती हैं कि कानून बनाने, कर बढ़ाने और सार्वजनिक खर्च करने की शक्ति के कारण कौन, क्या और क्यों का हकदार है? इसलिए सभी नागरिकों में अधिकारों और कर्तव्यों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसी संरचनाओं का निर्माण सावधानी से किया जाना चाहिए। चार्ल्स बेइट्ज़ के अनुसार आधुनिक वैश्विक युग में न्याय के सवालों को राष्ट्रीय स्तर तक सीमित करना नैतिक रूप से अनुचित है। वैश्विक गरीबी पर थॉमस पॉग और गिलियन ब्रॉक का विचार है कि गरीबी उन्मूलन के लिए अमीर और गरीब व्यक्तियों के बीच धन और संसाधनों के पुनर्वितरण पर ध्यान देना चाहिए। मैरी कलडोर और डेनियल आर्चीबुगी ने मानवीय हस्तक्षेप का समर्थन किया है। समकालीन वैश्विक न्याय लैंगिक असमानता, अप्रवास और शरणार्थियों, युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसी विविध समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य समकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में वैश्विक न्याय हेतु राष्ट्रसंघ की भूमिका का पता लगाना और उसका आलोचनात्मक अध्ययन करना है। इस शोधपत्र में मुख्य रूप से द्वितीय स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

e[; 'kCn

विश्व शांति, न्याय, अन्तर्राष्ट्रीय संरचना, विश्व बंधुत्व, नैतिक मूल्य.

परिचय

समकालीन विश्व में न्याय के क्षेत्र में नए बदलाव आएं है, न्याय का स्वरूप वैश्विक हो गया है तथा यह नैतिक मूल्यों पर बल देता है। परंपरागत रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को घरेलू न्याय के क्षेत्र से अलग अध्ययन किया जाता था। पहले न्याय का अध्ययन सिर्फ राज्य केंद्रित था किंतु अब इस प्रक्रिया में बदलाव आए है एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ ने इसकी जगह ले ली है जिसमे व्यक्तियों तथा मानव मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है। परंपरागत न्याय जहाँ राज्यों की भूमिका को अहम् मानता है वहीं आधुनिक वैश्विक न्याय एक गहरी अन्यायपूर्ण वैश्विक संस्थागत व्यवस्था को दर्शाता है। यह व्यवस्था गरीबी और शोषण को कायम रखते हुए अमीर व गरीब दोनों देशों में अभिजात्य वर्ग को समृद्ध करती है। वर्तमान समय में विभिन्न देशो की सरकारों के मध्य सिर्फ वार्ता एवं संबंधों के परे राष्ट्रीय सीमाओं के पार अन्य घटनाएं भी घटित हो रही है। उदहारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण अभिनेता व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उभरी है। यह संस्थाएं कानूनी न्याय के अलावा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानव अधिकार, स्वास्थ्य, गरीबी आदि समस्याओ का हल प्रस्तुत करती है ।

वैश्विक न्याय की अवधारणा

थॉमस पॉगे के अनुसार वैश्विक न्याय अन्तर्राष्ट्रीय समाज में गरीबी उन्मूलन के लिए नैतिक आधार प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से न्याय से क्या अभिप्राय है, क्या यह समानता के समान है? एडम स्मिथ और जॉन रॉल्स की अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत द्वारा इस प्रश्न का हल दिया जा सकता है। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अंतर्निहित पूर्वाग्रह के बिना एक न्यायपूर्ण समाज को कैसे सर्वोत्तम रूप से सिद्ध किया जाए। ये दृष्टिकोण इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने का प्रयास करता हैं कि क्या कोई व्यक्ति जिसे धन, योग्यता या आनुवंशिकी के मामले में समाज के भीतर अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है, वह इस व्यवस्था को उचित मानेगा। इसका लक्ष्य हमें अपने विश्व को श्रेष्ठ माध्यम से अध्ययन करना है एवं इसमें हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। न्याय की अवधारणा का उपयोग आपराधिक कानून से लेकर बाजार अर्थव्यवस्था तक कई अलग–अलग चीजों के मूल्यांकन में किया जा सकता है। शब्द के व्यापक अर्थ में, न्याय की अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं में युद्ध के औचित्य और आचरण को नियंत्रित करने वाले मानक तथा मानवाधिकारों को परिभाषित करने वाले मानक शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं वैश्विक न्याय

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए संस्थाओ का विकास है, जो आर्थिक और सामाजिक विकास, शांति और सुरक्षा के विकास में भी केंद्रीय भूमिका निभाते है। इनके माध्यम से लाई गई अनेक संधियाँ उस कानून का आधार प्रस्तुत करती हैं जो राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। अनुच्छेद 33 विशेष रूप से संगठन को मध्यस्थता और न्यायिक समाधान सहित शांतिपूर्ण तरीकों से अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे में मदद करने और अनुच्छेद 13 कानून के प्रगतिशील विकास को प्रोत्साहित करने पर बल देते है। महासभा प्रत्येक सदस्य राज्य के प्रतिनिधियों से बनी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मामलों पर मुख्य विचार–विमर्श करने वाली संस्था है। कई बहुपक्षीय संधियाँ वास्तव में महासभा द्वारा प्रारंभ की जाती हैं और बाद में हस्ताक्षर और अनुसमर्थन की प्रक्रिया करी जाती हैं। महासभा ने अपने इतिहास में कई बहुपक्षीय संधियों को अपनाया है जिनमें नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन (1948), नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1965), महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (1979), बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (1989), व्यापक परमाणु परीक्षण–प्रतिबंध संधि (1996), आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1999), परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005), विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (2006) शामिल हैं। पर्यावरण की रक्षा, प्रवासी श्रमिकों को विनियमित

करने, मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों में इनके प्रयास सरहानीय है। यह कार्य निरंतर जारी है सयुंक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून सहित मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम में अधिक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

संयुक्त राष्ट्र संघ का विवादों के निपटारे के लिए यह प्रमुख अंग है। यह 1946 में बना था। इसकी स्थापना के बाद से न्यायालय ने 170 से अधिक मामलों पर विचार किया है, राष्ट्रसंघ के अनुरोधों के जवाब में सलाहकारी परामर्श भी दिया है। अधिकांश मामलों को पूर्ण न्यायालय द्वारा निपटाया गया है, लेकिन 1981 से छह मामलों को पार्टियों के अनुरोध पर विशेष समितियों को भेजा गया है। कोर्ट का मुख्यालय ''द हेग'' में है। न्यायालय संबंधित राज्यों की स्वैच्छिक भागीदारी के आधार पर देशों के बीच विवादों का फैसला करता है। इसमें 15 न्यायधीश होते है। न्यायालय में एक ही राज्य के एक से अधिक न्यायधीश शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय को समग्र रूप से सभ्यता के मुख्य रूपों और विश्व की प्रमुख कानूनी प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। निरंतरता के लिए लिए प्रत्येक तीन वर्ष में एक तिहाई न्यायधीश का चुनाव किया जाता है। न्यायधीश पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं। यदि किसी न्यायधीश की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है, तो कार्यकाल के असमाप्त हिस्से को भरने के लिए न्यायधीश को चुनने के लिए जल्द से जल्द एक विशेष चुनाव आयोजित किए जाते है। अपने निर्णयों में, न्यायालय ने आर्थिक अधिकारों, पारित होने के अधिकार, बल का उपयोग न करने, राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर–हस्तक्षेप, राजनयिक संबंधों, बंधक बनाने, शरण और राष्ट्रीयता के अधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों को संबोधित किया है। राज्य ऐसे विवादों को कानून के आधार पर अपने मतभेदों के निष्पक्ष समाधान की तलाश में न्यायालय के समक्ष लाते हैं। भूमि सीमाओं, समुद्री सीमाओं और क्षेत्रीय संप्रभुता जैसे प्रश्नों पर शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करके, न्यायालय ने अक्सर विवादों को समाप्त करने में मदद की है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामले

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 170 से अधिक केस आ चुके है। उनमे से यह कुछ केस है जिसमे न्यायालय की भूमिका अग्रणी रही है। पहला, कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को कांसुलर एक्सेस इनकार करने तथा मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा एवं इसकी ''प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार'' करना चाहिए, और बिना किसी देरी के भारत को कांसुलर एक्सेस देना चाहिए। दूसरा, हाल ही में रूस–यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेन–ने कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें तहत रूस के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन के लुहान्स्क और डोनेट्स्क ओब्लास्ट में नरसंहार के कार्य हुए हैं। रूस इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जाने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस से अपने हमलों को तुरंत निलंबित करने और सभी सैन्य अभियानों को रोकने के लिए कहा क्योंकि वे यूक्रेन को नरसंहार करने से रोकने या दंडित करने के मास्को के घोषित उद्देश्य पर आधारित थे। तीसरा, तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगान लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों में गंभीर गिरावट आई है। कानून का शासन अनिवार्य रूप से गायब हो गया है; अफ़ग़ानिस्तान की न्यायपालिका, जो पहले से ही कमज़ोर है उसको हटा दिया गया है और उसके स्थान पर धार्मिक क़ानून के दावों को उचित ठहराते हुए क्रूर और मनमाना दंड की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को न्याय के किसी भी रूप को प्राप्त करने की बहुत कम उम्मीद है, विशेष रूप से प्रचलित लिंग आधारित हिंसा या पारिवारिक मामलों में समान अधिकारों के लिए। तालिबान ने लाखों महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा और काम करने के उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। तालिबान की व्यवस्थित कुप्रथा के उनके आंकड़ों को शामिल करने से अदूरदर्शी और दंडात्मक प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंध बढ़ गए हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से अफगान अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

1948 में मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय अदालत का विचार आया। कई वर्षों तक वैचारिक मतभेदों के कारण इसका विकास रुक गया। 1992 में महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग को इस अदालत के लिए एक संरचना क़ानून तैयार करने का निर्देश दिया। कंबोडिया, पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में हुए नरसंहारों ने इसकी आवश्यकता को और भी अनिवार्य बना दिया। संयुक्त राष्ट्र और आईसीसी के बीच सहयोग एक बातचीत संबंध समझौते द्वारा नियंत्रित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग

कानून के प्रगतिशील विकास और इसके संहिताकरण को बढ़ावा देने के लिए 1947 में महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना हुई थी। आयोग में 34 सदस्य है जो सामूहिक रूप से विश्व की प्रमुख कानूनी प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में विशेषज्ञों के रूप में कार्य करते हैं, न कि उनकी सरकारों के प्रतिनिधियों के रूप में। वे राज्यों के बीच संबंधों के नियमन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हैं, और विषय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के साथ परामर्श करते हैं। विधि आयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के पहलुओं पर ड्राफ्ट भी तैयार करता है। कुछ विषयों को आयोग द्वारा चुना जाता है, अन्य को महासभा द्वारा संदर्भित किया जाता है। जब आयोग किसी विषय पर काम पूर्ण करता है, तो महासभा कभी–कभी विषय को बैठक में शामिल करने के लिए पूर्णाधिकारियों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक बुलाती है। सुरक्षा परिषद् सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की रक्षा करने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और युद्धों में बच्चों की रक्षा करने में अनिवार्य भूमिका प्रस्तुत की है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

जलवायु परिवर्तन को केवल एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय सिद्धांतकार इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं जो सामाजिक–आर्थिक प्रणालियों, विशेषाधिकारों और अंतर्निहित अन्यायों पर भी असर करता है तथा विभिन्न वर्ग, जाति, लिंग, भूगोल और पीढ़ी के लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है। इस तरह के सभी आंदोलनों के मूल में यह तर्क है कि विकसित राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनहाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक हैं जबकि इन क्षेत्रों के लोगों ने समस्या में कम योगदान दिया है।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त

यूएनएचसीआर का उद्देश्य विश्व में शरणार्थियों और शरण प्राप्त करने वालों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करता है, और उन मामलों को देखता है जो शरणार्थियों को उन देशों में जाने के लिए मजबूर करते हैं जिन्हें उन्होंने जीवन और स्वतंत्रता के खतरे के डर से छोड़ दिया था। महिलाओं और छोटे बच्चों जैसे शरणार्थियों को आसानी से निशाना बनाया जा रहा है और सीमा पार करते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मानव तस्करी उनके लिए चिंता का प्रमुख मुद्दा बनी हुई है इसलिए यूएनएचसीआर अक्सर उन्हें शिविरों में रहने के लिए सुविधा प्रदान करता है और उन्हें भोजन, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। यूएनएचसीआर बाल्कन, अफगानिस्तान और इराक युद्ध में विभिन्न संघर्षों के दौरान अग्रणी मानवीय एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इसने यूनिसेफ, यूएनडीपी और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया था ताकि शरणार्थियों को वापस लाया जा सके जो कोसोवो संकट के दौरान यूरोप भाग गए थे। इसने हाल ही में रोहिंग्याओं के उत्थान के लिए काम किया है जो म्यांमार से भाग गए और भारत और बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे हैं। यूएनएचसीआर को विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित 4.6 मिलियन विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए बुलाया गया है। पूर्व यूगोस्लाविया, पूर्वी तिमोर, कंबोडिया और चेचन्या में तेजी से और मानवीय आधार पर उनकी सहायता की है। मुख्य रूप से शरणार्थियों की मदद करने के लिए यूएनएचसीआर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय प्रदान करने के लिए भी काम करता है।

शांति स्थापना, प्रवर्तन एवं शांति निर्माण

इसका उद्देश्य आम तौर पर नागरिकों की मृत्यु को कम करना और परस्पर विरोधी राष्ट्रों या जातीय समूहों के बीच नए युद्ध के जोखिम को कम करना है। शांति स्थापना गतिविधि की हमेशा सुरक्षा परिषद् द्वारा जांच की जाती है और महासभा में संकल्प के रूप में चर्चा की जाती है। यह नीतियां सैनिकों का उपयोग युद्ध लड़ने और जीतने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई को रोकने और संघर्ष विराम बनाए रखने के लिए एक असाधारण कूटनीतिक कार्य के रूप में भी करते है। शांति स्थापना प्रक्रिया एक प्रकार का तंत्र है जो शांति स्थापित करती है और मानवीय सहायता के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करती है। राष्ट्र–राज्य, सरकारों और संयुक्त राष्ट्र के संगठनों समूह के भीतर एक सामान्य समझ है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रक्षक विशेष रूप से संघर्ष के बाद के क्षेत्रों में शांति प्रक्रियाओं की निगरानी और निरीक्षण करते हैं। यह देशो को उनके द्वारा किए गए शांति समझौते की प्रतिबद्धताओं को लागू करने में सहायता करता है। ऐसी सहायता कई रूपों में प्रवेश कर सकती है, जिसमें विश्वास–निर्माण के उपाय, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था, चुनावी समर्थन, कानून के शासन को मजबूत करना और आर्थिक और सामाजिक विकास शामिल हैं। शांति स्थापना डैग हैमरस्कजॉल्ड के नाम से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अवधारणा को परिष्कृत करने और लागू करने दोनों पर भारी प्रभाव डाला हैं। यह एक तरफा हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक पूर्वव्यापी और तटस्थ सामूहिक हस्तक्षेप का प्रस्ताव करता है। इस प्रकार यह किसी भी युद्ध या संघर्ष को रोकने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष हस्तक्षेप का एक तंत्र है।

आलोचना

वर्तमान समय में कुछ ऐसे मुद्दे देखे गए है जहाँ संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी एजेंसी उम्मीदों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाई है फिर चाहे रूस–यूक्रेन संघर्ष हो या अफगानिस्तान में तालिबानी शासन। यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन व्यापक स्तर पर हुआ किन्तु राष्ट्र संघ केवल मूकदर्शक ही बना रहा था। दक्षिण चीन सागर को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक माना जाता है और यह वाणिज्य तथा व्यापारिक शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। दक्षिण चीन सागर एक विवादित क्षेत्र है जिसमें विभिन्न संप्रभु राज्यों के बीच समुद्री और द्वीप के दावे हैं। यह देश चीन, ब्रुनेई, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया हैं। भू–राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र भारत–प्रशांत महासागर में स्थित हैं। चीन, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायलय के फैसले की निरंतर अवहेलना करते हुए इस क्षेत्र पर आक्रामक तरीके से अपना कब्ज़ा कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायलय की कुछ सीमाएं भी है, यह मुख्य रूप से संरचनात्मक, परिस्थितिजन्य और न्यायालय के संसाधनों से संबंधित हैं। यह आपराधिक अदालत नहीं है इसलिए युद्ध, अपराधों या मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायालय का कोई मूल तथा आरंभिक क्षेत्राधिकार भी नहीं है इसलिए वह स्वयं के संज्ञान से कोई केस नहीं ले सकता यह केवल राज्यों के अनुरोध पर मामलो की सुनवाई कर सकता है। स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे मानव सुरक्षा के मुद्दे मुख्य रूप से राज्यों के क्षेत्र में आते हैं और गंभीर समस्या बने हुए है। वैश्विक न्याय की संकल्पना मुख्य रूप से पश्चिमी चिंतन तक ही सीमित है क्योकि वैश्विक न्याय समृद्ध पश्चिम देशो के गरीबों देशो के प्रति कर्तव्यों से संबंधित है, विकासशील विश्व के विद्वानों को इस अध्ययन से बाहर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के बजट में अमेरिका सबसे ज्यादा योगदान करता है इसलिए इनके निर्णय में अमेरिका का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में अंतर देखा जा सकता है।

निष्कर्ष

यह अवधारणा अपेक्षाकृत नई है क्योंकि प्राचीन, मध्यकालीन न्याय राज्य के अंतर्गत अध्ययन करते थे, किंतु वैश्विक न्याय राज्य सीमाओं से परे जाकर समस्याओ का अध्ययन करता है। वैश्विक न्याय की मांग कई कारकों के कारण है जिसमे आर्थिक अन्याय, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रवास के मुद्दे, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय खतरे और स्वास्थ्य और लिंग असमानता शामिल है। संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी एजेंसी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

रही है पर ऐसा देखा गया है कि इनकी भूमिका भी सीमित है। आवश्यकता है कि इनकी भूमिका को और बढ़ाया जाए, विभिन्न राज्य अपने सभी हितो से ऊपर उठकर वैश्विक सहयोग करे जिससे वास्तव में इन लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाए, वैश्विक सहयोग के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. पॉगे, थॉमस (2008) ''व्हाट इस ग्लोबल जस्टिस?'' याले यूनिवर्सिटी, ग्लोबल जस्टिस प्रोग्राम https://globaljustice-yale-edu/sites/default/files/files/WhatIsGlobalJustice.pdf लास्ट अक्सेसेस ऑन 29 अगस्त 2022।
2. रिस्से, एम (2011) ''ग्लोबल जस्टिस'' हार्वर्ड केनेडी स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी https://dash-harvard-edu/bitstream/handle/1/4669674/RWP11&001&Risse.pdf लास्ट अक्सेसेस ऑन 29 अगस्त 2022।
3. सयुंक्त राष्ट्र (2019) *''अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय''*, संयुक्त राष्ट्र, https://www-un-org/en/global&issues/international&law&and&justice लास्ट अक्सेसेस ऑन 29 अगस्त 2022।
4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (2019) Icj&Cij-orgA https://www-icj&cij.org/मद, लास्ट अक्सेस्ड ऑन 28 अगस्त 2022।
5. कोर्ट (2019), इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, Icj&Cij-orgA https://www-icj&cij.org/en/court, लास्ट अक्सेस्ड ऑन 28 अगस्त 2022।
6. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (2019), लिस्ट ऑफ़ आल केसेस, Icj&Cij.orgA https://www.icj&cij-org/hi/list&of&all&cases लास्ट अक्सेसेस ऑन 29 अगस्त 2022।
7. सयुंक्त राष्ट्र न्यूज (2022), ''अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को यूक्रेन में सैन्य अभियानों को ''तुरंत निलंबित'' करने का आदेश दिया'',16 मार्च 2022, संयुक्त राष्ट्र समाचार, https://news.un.org/hi/story/2022/03/1114052 लास्ट अक्सेसेस ऑन 28 अगस्त 2022।
8. रिलीफवेब (2022) ''संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है महासचिव ने महासभा को बताया'' यूक्रेन, 28 फरवरी 2022, रिलीफवेब, https://reliefweb-int/report/ukraine/united & nations & stands & people & ukraine & secretary & general & tells & general & assembly लास्ट अक्सेसेस ऑन 29 अगस्त 2022।
9. संयुक्त राष्ट्र (1945) ''संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर'' https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf.
10. राष्ट्रसंघ (2006) ''सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच'', संयुक्त राष्ट्र, 2006, संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन https://www.un.org/esa/socdev/documents/ifsd/SocialJustice.pdf.
11. सिंह, प्रताप (2022) ''अंतर्राष्ट्रीय जलवायु न्याय: एक असफल कारण? ''टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग, 9 अगस्त 2022 https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/international & climate & justice & a & failed & cause/, लास्ट अक्सेसेस ऑन 29 अगस्त 2022।
12. बसु, रुमकी (2020) "संयुक्त राष्ट्रः एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की संरचना और कार्य", स्टर्लिंग पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
13. बसु, रुमकी (2012), 'अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिः अवधारणा सिद्धांत और मुद्दे'' सेज प्रकाशन, नई दिल्ली।
14. कुमार चंचल और संजू गुप्ता (2013), ''संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संघर्ष'', रीगल प्रकाशन, नई दिल्ली।

****